उत्तर प्रदेश सरकार

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3

(31)

संख्या बी-3--1645/दस-80-2 (41)/77-मो0 स0

लखनऊ, दिनांक 18 अप्रैल, 1980

कार्यालय-ज्ञाप

राज्य कर्मचारियों को देय अग्रिमों पर निर्धारित ब्याज की दरों से सम्बन्धित कार्यालय-ज्ञाप संख्या बी-3-4037/दस-79-2 (41)-77-मो0 स0, दिनांक 17 अक्टूबर, 1979 के अनुच्छेद 2 के सन्दर्भ में अधो हस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन ने यह निर्णय लिया है कि मोटरकार/मोटर साइकिल/स्कूटर/बाइसकिल क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 1979-80 में स्वीकृत अग्रिमों पर ब्याज की दरें अन्तिम रुप से निम्न प्रकार होंगी:--

(1) मोटरकार अग्रिम — 11 1/2 प्रतिशत प्रतिवर्ष।

(2) मोटर साइकिल/स्कूटर
(3) बाईसकिल अग्रिम — 10 1/4 प्रतिशत प्रतिवर्ष।

किन्तु नियत समय पर ऋण-ब्याज के प्रतिदान/भुगतान किये जाने पर ब्याज में 3 1/2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की छूट दी जायेगी।

डी0 एन0 दवे,
उप सचिव।

सचिवालय के समस्त अनुभाग

संख्या बी-3-1645 (1)/दस-80-2 (41)-77/मो0 स0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

(1) समस्त विभागाध्यक्षों एवं प्रमुख कार्यालयों के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
(2) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आज्ञा से;

डी0 एन0 दवे;
उप सचिव।